POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.05.2025

1. थाना दादरी पुलिस द्वारा ग्रेन्डर गे डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फँसा व डरा धमका कर रुपये ऐंठने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र व घटना से सम्बन्धित 01 आई फोन-15 प्रो बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.05.2024** को **थाना दादरी पुलिस** द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्रेन्डर गे डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फँसा व डरा धमका कर रुपये ऐंठने वाले 04 अभियुक्त 01. दक्ष उर्फ कप्तान पुत्र विनोद 02. भूपेन्द्र उर्फ भूप्पी पुत्र सुरेन्द्र 03. जय राघव पुत्र भगत सिंह 04. हनी पुत्र रघुराज को जीटी रोड से चिटहैरा शमसान को जाने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 अवैध चाकू व घटना से सम्बन्धित 01 मोबाइल फोन आई फोन-15 प्रो बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा एक गैंग के रूप में कार्य किया जाता है, जो कि लोगों को ग्रेन्डर गे डेटिंग ऐप के माध्यम से मीटिंग के लिए बुलाकर उनको डरा धमकाकर पैसे ट्रांसफार्मर करा लेते है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग ग्रेन्डर गे डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को बुलाकर अवैध शस्त्र दिखाकर डरा धमका कर रूपये लिया करते थे अथवा खातें में ट्रांसफर करा लेते थे। पिछले महीने दिनांक 17.04.2025 को हमने एक व्यक्ति को स्टेलर जिमखाना सोसायटी नॉलेजपार्क के पास से कार में बैठाकर अवैध शस्त्र दिखाकर डरा धमकाकर उसके फोन से 79 हजार रुपये दादरी में स्थित दुकान के बार कोड पर ट्रांसफर करवा लिये थे और अभियुक्तों द्वारा उसी रुपये से आई-फोन 15 प्रो रंग काला 64,000 रुपये में खरीद लिया था तथा 15000 रूपये नकद ले लिये थे। इसके अतिरिक्त उक्त व्यक्ति से 24500 रुपये कैफे के बार कोड पर करा लिये थे जिनको बाद मे जाकर कैफे से नकद ले लिया गया था। अभियुक्तों द्वारा कुछ दिन पहले हापुड़ में भी ऐसे ही एक व्यक्ति को बुलाकर उससे 25000 रुपये और 01 सोने की चेन लूट ली थी। इसके अतिरिक्त भी इस गैंग के द्वारा अन्य घटनाए की गयी है, जिनके बारें में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. दक्ष उर्फ कप्तान पुत्र विनोद निवासी एस्कोर्ट कालोनी दादरी, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. भूपेन्द्र उर्फ भूप्पी पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम गढी, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3. जय राघव पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम धतूरी, थाना सलेमपुर, बुलंदशहर वर्तमान पता सूरज विहार कालोनी, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
4. हनी पुत्र रघुराज निवासी मौहल्ला न्यादरगंज, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त दक्ष उर्फ कप्तान पुत्र विनोद--**

1. मु0अ0सं0 259/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 107/2025 धारा 309 (4) बीएनएस, थाना नॉलेजपार्क, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 640/2024 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 185/2021 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ भूप्पी पुत्र सुरेन्द्र--**

1. मु0अ0सं0 259/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 107/2025 धारा 309(4) बीएनएस, थाना नॉलेजपार्क, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 646/2024 धारा 106(1)/281 बीएनएस, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त जय राघव पुत्र भगत सिंह--**

1. मु0अ0सं0 259/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 107/2025 धारा 309(4) बीएनएस, थाना नॉलेजपार्क, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 44/2021 धारा 379/411 भादवि, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त हनी पुत्र रघुराज--**

1. मु0अ0सं0 259/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 107/2025 धारा 309(4) बीएनएस, थाना नॉलेजपार्क, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. अभियुक्त दक्ष के कब्जे से बरामद 01 तमंचा .315 बोर।
2. अभियुक्त अभियुक्त भूपेन्द्र व जय राघव से बरामद 02 अवैध चाकू।
3. घटना से सम्बन्धित 01 मोबाइल फोन आई फोन-15 प्रो

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.05.2025** को **थाना सेक्टर-63** नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त राजीव पुत्र सुधीर को टाटा मोटर्स कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मै एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर सब्जी मण्डी, बाजार व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानो से मोटरसाइकिल चोरी करता हूं तथा बरामद मोटरसाइकिल भी मेरे द्वारा कुछ दिन पहले बागू क्षेत्र गाजियाबाद से चोरी की गई थी।

अभियुक्त का विवरण--

राजीव पुत्र सुधीर निवासी ग्राम घोघरा चट्टी पोस्ट चंदौना, जिला दरभंगा, बिहार वर्तमान पता अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद (उम्र 24 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण--

1- चोरी की 01 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल (यूपी 14 सी.डी. 9231)
2- 01 अवैध चाकू

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0 229/2025 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा।
2- मु0अ0सं0 161/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना क्रासिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद।

3. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा दुकान से कीमती आर्टिफिशियल आभूषण चोरी करने वालें 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आर्टिफिशियल आभूषण बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.05.2025** को **थाना फेस-2** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुकान से आर्टिफिशियल आभूषण चोरी करने वालें 03 अभियुक्तों 1.मोहित पुत्र सेवाराम 2.दीपक कुमार पुत्र राधेश्याम 3.मोहित कुमार पुत्र राजेश को मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर- 81 की मुख्य सड़क के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गए कीमती आर्टिफिशियल आभूषण बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण--

वादिया द्वारा थाना फेस-2 नोएडा पर सूचना दी कि अभियुक्तों ने वादिया की दुकान से आर्टिफिशियल आभूषणों की चोरी कर ली थी जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-2 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका--

1. अभियुक्तों द्वारा ऐसी दुकानों को टारगेट किया जाता था जिसमें कम सिक्योरिटी हो तथा उस दुकान से आसानी से कीमती सामान को चोरी किया जा सके।
2. इनके द्वारा दुकानों में काम कर रहे वर्कर/ दुकान मालिक का ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करते थे, ध्यान भंग होने के बाद दुकानों में रखा कीमती सामान चोरी करके गायब हो जाते थे।
3. इनके द्वारा पकड़े जाने के डर से निरंतर स्थान बदला जाता था।
4. इनके द्वारा चोरी किये गये सामान को बेचने के लिए कोई निश्चित ग्राहक नही होता था बल्कि यह मोल-तोल करके जहां भी इनको अधिक दाम मिलता वही बेच देते थे।
5. इनके द्वारा पकड़े जाने के डर से एक-दूसरे से सम्पर्क करने के लिए वाट्सएप्प कॉल का प्रयोग किया जाता था।

अभियुक्तों का विवरण--

1. मोहित पुत्र सेवाराम निवासी रामनगर, थाना किशनी, जिला मैनपुरी, वर्तमान पता नगला चरनदास, थाना फेस-2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. दीपक कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी सिमर्रा भोजपुर, थाना बिलसी, जिला बदायुँ वर्तमान पता नगला चरनदास, थाना फेस-2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
3. मोहित कुमार पुत्र राजेश ताती निवासी ग्राम गोहदा, थाना महोली, जिला शिवपुरा, बिहार वर्तमान पता नगला चरनदास, थाना फेस-2 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 237/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना फेस- 2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- चोरी के 03 नेकलेस पीली धातु (आर्टिफिशियल)

2- चोरी की 05 चैन पीली धातु (आर्टिफिशियल)

3- चोरी की 01 नाक की नथिनी पीली धातु (आर्टिफिशियल)

4- चोरी के 02 मंगलसूत्र की चैन काली-पीली धातु (आर्टिफिशियल)

5- चोरी के 05 जोड़ी ईयर-रिंग पीली धातु (आर्टिफिशियल)

6- चोरी के 04 टिकडे मंगलसूत्र पीली धातु (आर्टिफिशियल)

7- चोरी के 03 मांग टीके पीली धातु (आर्टिफिशियल)

8- चोरी की 21 अंगूठी पीली धातु (आर्टिफिशियल)

9- चोरी की 13 जोडी ईयर-रिंग पीली धातु (आर्टिफिशियल)

10- चोरी के 04 ब्रसलेट पीली धातु (आर्टिफिशियल)

11- चोरी के 24 पैकेट मोती माला भिन्न-भिन्न रंग की (आर्टिफिशियल)